## सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनाक 09–03–2011 की कार्यवाही

**उपस्थिति :**

1. श्री अजय सिंह नबियाल आई0ए0एस0 आयुक्त, गढ़वाल मंडल। — अध्यक्ष।

2. श्री ईश्वर सिंह नेगी, पुत्र श्री पूरन सिंह नेगी, ग्रा0 चरगाड़ पो0 गडिगांव जिला–पौड़ी। — सदस्य।

3. श्रीमती सुनीता सिंह संभागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून। — पदेन सचिव।

**संकल्प सं0–01**:–

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 08–10–10 तथा 20–10–10 की कार्यवाही की पुि" ट की गयी।

**संकल्प सं0–02**:–

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा परिचालन पद्धति से पारित मद में उल्लिखित क्रमांक–अ तथा ब का अनुमोदन किया जाता है।

**संकल्प सं0–03:–**

सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण तथा सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा क्रमांक–अ, ब तथा स पर जारी अस्थाई/स्थाई परमिटों का अनुमोदन किया जाता है।

**संकल्प सं0–04:–**

मद सं0–4 के अन्तर्गत डोईवाला केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विक्रम टैम्पो परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों को विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। इस मामले को विचार व आदेश हेतु प्राधिकरण की बैठक दिनांक 08–10–10 में प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण ने यह आदेश पारित किए थे कि डोईवाला क्षेत्र में पड़ने वाले मार्गों को चिह्नित करके उनका सर्वेक्षण कराया जाए तथा सर्वेक्षण आख्या प्राप्त हो जाने के पश्चात् मामले को पुनः प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

प्राधिकरण के उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), देहरादून ने अपने पत्र सं0 1603 दिनांक 11–01–11 द्वारा सर्वेक्षण कर आख्या प्रेषित की है, जिसका उल्लेख मद में किया गया है। उन्होंने अपनी आख्या में कहा है कि डोईवाला के ग्रामीण क्षेत्रो बुल्लावाला, झबरावाला, खैरी–धर्मचक, घमण्डपुर, डांडी, बड़कोट, नागाघेर, कालूवाला, शेरगढ़ आदि क्षेत्रों के लिए यातायात के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है। इन क्षेत्रों में जनता को आवागमन हेतु असुविधा का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में हुई जनसंख्या वृद्धि के दृष्टिगत जनता को पर्याप्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु अतिरिक्त परमिट दिए जाने की आवश्यकता है।

उत्तराखण्ड प्रदेश विक्रम टैम्पो महासंघ ने अध्यक्ष महोदय को सम्बोधित अपने पत्र दिनांक 08–03–11 द्वारा डोईवाला केन्द्र में नये विक्रम टैम्पो परमिट जारी करने पर आपत्ति की गई है। अपनी आपत्ति में उन्होंने कहा है कि डोईवाला मार्ग पर 30–40 सिटी बसें पहले से ही संचालित हैं। इस मार्ग पर विक्रम टैम्पो, टाटा मैजिक, सिटी बसों के नये परमिट जारी न किए जाए।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त डोईवाला केन्द्र से विक्रम टैम्पो परमिटों हेतु प्राप्त परिशि" ट "क" में उल्लिखित समस्त प्रार्थनापत्रों को निम्नलिखित ' ार्तों के साथ स्वीकृत किया जाता हैः—

प्रथम आगत, प्रथम निर्गत के सिद्धांत पर कुल 60 परमिट वाहनों के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 30—04—11 तक जारी किए जाएंगे, जिनमे से 47 परमिट सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को, 11 अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों तथा 02 अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को जारी किए जाएंगे। निर्धारित संख्या में स्वीकृत परमिट जारी हो जाने के पश्चात् ' ो" ा प्रार्थनों की स्वीकृति स्वतः समाप्त हो जाएंगी।

1. परमिट से आच्छादित वाहन का संचालन डोईवाला में लच्छीवाला रेलवे पुल से से आगे देहरादून ' ाहर की ओर, ऋ" ाकेश मार्ग पर नटराज चौक से आगे तथा हरिद्वार मार्ग पर नेपाली फार्म से आगे नहीं किया जायेगा। वाहन का संचालन डोईवाला के ग्रामोण क्षेत्रों में ही किया जाएगा।
2. वाहनों का रंग हरा होगा तथा इन पर 05 इंच की सफेद पट्टी होगी जिसमें काले रंग से **डोईवाला ग्रामीण क्षेत्र** अंकित होगा।
3. देहरादून जनपद का निवासी हो।
4. आवेदक के नाम अन्य कोई परमिट न हो।
5. आवेदक बेरोजगार हो।
6. आवेदक के पास हल्की वाणिज्यिक वाहन चलाने का डी0एल0 हो।
7. परमिट 03 व" ा की अवधि से पूर्व हस्तान्तरित नहीं किया जाएगा तथा आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत जारी परमिट आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को ही हस्तान्तरित किया जा सकेगा।
8. आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक आवेदक, जिला प्रशासन द्वारा निर्गत जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे।
9. मार्ग पर संचालित वाहनों मॉडल सीमा 10 व" ा होगी तथा 10 व" ा की आयुसीमा पूरी होने पर ऊँचे मॉडल की वाहन से प्रतिस्थापन किया जाएगा।

**संकल्प सं0–05:–**

मद सं0–05 के अन्तर्गत निम्नलिखित मार्गों पर 7/8 सीटर हल्की वाहनों को ठेका गाड़ी के रूप में संचालन करने हेतु परमिटों के लिए प्राप्त प्रार्थनापत्रों को विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है।

| क्र०सं० | मार्ग का नाम |
|---|---|
| 1. | मियांवाला चौक–गुजरोवाली चौक–तुनवाला–नाजीवाला–किददूवाला–नत्थनपुर–नेहरुग्राम–राजीव नगर–बलबीर रोड–ई0सी रोड होते हुऐ सर्वेचौक–परेड ग्राउन्ड मार्ग। |
| 2. | सैन्य कालोनी–नीलकंठ बिहार–कालीदास चौक (पथरिया पीर)–कालीदास रोड–दिलाराम चौक–युकलिप्टिस रोड–सर्वेचौक–परेडग्राउण्ड–लैंसडाऊन चौक–रेंजर कॉलेज–पंचायती मंदिर चौक–प्रिंस चौक–सहारनपुर चौक–मातावाला बाग–गुरू रामराय डिग्री कॉलेज–कारगी–विद्याविहार–बाईपास रोड–आईएसबीटी एवं दून विश्वविधालय मार्ग । |
| 3. | आईएसबीटी से शिमला बाईपास होते हुऐ सेवलाकला–शान्ति बिहार–गौतमकुण्ड–चन्द्रबनी–सुभा" । नगर चौक–ट्रांसपोर्ट नगर–आईएसबीटी मार्ग। |
| 4. | आईएसबीटी से मेहुवाला–हरभजवाला–तुन्तोवाला–चौयला–वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट–चन्द्रबनी–वाइल्ड लाइफ कालोनी–सुभा" । नगर चौक–ट्रांसपोर्ट नगर–आईएसबीटी मार्ग। |

उपरोक्त मार्गों पर परमिट देने के विरुद्ध अध्यक्ष/महामंत्री डी0एल0 रोड–डिफेंस कालोनी, नगर बस ऑनर्स यूनियन ने आपत्ति की है कि ठेका वाहनों को स्टेज कैरिज में तब्दील न किया जाए, परन्तु इस मद में उपरोक्त मार्गों पर ठेका परमिट जारी करने का मामला प्रस्तुत किया गया है, परमिटों को तब्दील करने से सम्बन्धित मामला नहीं है। उपरोक्त मार्गों पर परिशि" ट **"ख"** में 331, परिशि" ट **"ग"** में 376, परिशि" ट **"घ"** में 89 तथा परिशि" ट **"च"** में 89 प्रार्थनापत्रों का उल्लेख किया गया ह।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि उपरोक्त परिशि" टों में वर्णित समस्त प्रार्थनापत्रों को प्रथम आगत, प्रथम निर्गत के सिद्धांत पर निम्नलिखित ' ार्तों के साथ स्वीकृत किये जाते हैं:–

1. क्रम सं0–1 में वर्णित मार्ग मियांवाला चौक से परेडग्राउण्ड पर कुल 20 परमिट वाहनों के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर जारी किए जाएंगे, जिनमें से 15 परमिट सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को, 04 अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों तथा 01 अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को जारी किए जाएंगे।
2. क्रम सं0–2 में वर्णित सैन्य कालोनी–आईएसबीटी तथा दून विश्व विद्यालय मार्ग पर कुल 20 परमिट वाहनों के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर जारी किए जाएंगे, जिनमें से 15 परमिट सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को, 04 अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों तथा 01 अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को जारी किए जाएंगे।
3. क्रम सं0–3 वर्णित आईएसबीटी से सेवलाकलां–गौतम कुण्ड होते हुए आईएसबीटी मार्ग तथा क्रम सं–04 में वर्णित आईएसबीटी–हरभजवाला–तुन्तोवाला–चौयला–आईएसबीटी मार्ग पर कुल 20 परमिट वाहनों के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर जारी किए जाएंगे, जिनमें से 15 परमिट सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को, 04 अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों तथा 01 अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को जारी किए जाएंगे।
4. आवेदन उत्तराखण्ड के निवासी हों इस हेतु मतदाता परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. आवेदक के नाम पर अन्य कोई परमिट न हो।
6. आवेदक बेरोजगार हों।
7. उसके पास हल्की वाणिज्य वाहन चलाने का डी0एल0 हो।
8. आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक आवेदक, जिला प्रशासन द्वारा निर्गत जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे।
9. परमिट को न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि तक हस्तान्तरित नहीं किया जा सकेगा तथा आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत जारी परमिट आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को ही हस्तान्तरित किया जा सकेगा।

स्वीकृत परमिट नई वाहनों के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 30–04–2011 तक जारी किए जाएंगे। निर्धारित संख्या में परमिट जारी हाने पर ‘ ।” । प्रार्थनपत्रा की स्वीकृति स्वतः समाप्त हो जाएगी।

**संकल्प सं0–06:–**

मद सं0–6 के अन्तर्गत देहरादून–कालसी मार्ग के सम्बन्ध में श्री गुरुबक्श सिंह द्वारा दायर रिवीजन सं0–05/2009 में पारित मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड के आदेश दिनांक 27–06–09

के अनुपालन में 05 प्रार्थियों को स्थाई सवारी गाड़ी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण ने मद में वर्णित प्रार्थियों सर्वश्री मोहित कुमार, सुमित कुमार, अनिल कुमार अग्रवाल, श्रीमती रमा अग्रवाल तथा श्री इन्द्रप्रीत सिंह को स्वीकृत परमिट मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित याचिका सं0 96/09, 103/09 तथा 1896/08 मे पारित आदेशों के अधीन जारी करने के आदेश पारित किए हैं। प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि मा0 उच्च न्यायालय में अभी तक उपरोक्त याचिकाओं में से 02 याचिकाएं 96/09 तथा 103/09 लम्बित हैं।

उपरोक्त मामले में श्री अनिल कुमार अग्रवाल प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुए उन्होंने निवेदन किया कि पूर्व में प्राधिकरण द्वारा प्रश्नगत मार्ग पर स्वीकृत परमिट नई बसों पर जारी करने के आदेश पारित किए गए थे, परन्तु प्रार्थी वर्तमान में परमिटों को नई बसों से प्राप्त करने समर्थ नहीं है। उन्होंने कहा कि फिलहाल उनको पुरानी बसों पर परमिट जारी करने की आज्ञा इस ‘ ार्त के साथ प्रदान की जाए कि 06 माह के पश्चात् परमिटों पर नई वाहनें प्रतिस्थापित की जाएंगी।

प्राधिकरण ने मामले में विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि उपरोक्त याचिकाओं की वर्तमान स्थिति ज्ञात की जाए। इसके पश्चात् मामले को विचारोपरान्त आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

**संकल्प सं0–7(अ):–**

इस मद के अन्तर्गत मंडलीय प्रबंधक (संचालन), उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून द्वारा जेएनएनयूआरएम योजना के अन्तर्गत प्राप्त बसों के लिए देहरादून–विकासनगर–कालसी मार्ग 10 स्थाई सवारी गाड़ी परमिट जारी हेतु दिए गए प्रार्थनापत्रों को विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड परिवहन निगम के प्रतिनिधियों को सुना गया उन्होंने निवेदन किया है कि उनको उपरोक्त मार्ग पर परमिट जारी किए जाएं। परिवहन निगम को परमिट जारी करने विरुद्ध श्री एस0के0 श्रीवास्तव ने आपत्ति करते हुए कहा कि जेएनएनयूआरएम योजना के अन्तर्गत प्राप्त बसें विभिन्न ‘ ाहरों में नगर बस सेवा चलाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा दी गयी हैं। इन बसों को नगर क्षेत्र से बाहर संचालन के परमिट जारी करना उचित नहीं हैं।

प्राधिकरण के समक्ष श्री एस0के0 श्रीवास्तव, श्री राकेश मिततल, सचिव, देहरादून–कालसी–कुल्हाल (पांवटा) डाकपत्थर मोटर ऑनर्स एसोसियशन तथा सचिव/अध्यक्ष, देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर मोटर ऑनर्स वेल्फेयर एसोसिएशन न देहरादून–कालसी मार्ग पर निजी वाहन स्वामियों को तथा जेएनएनयूआरएम योजना के अन्तर्गत परिवहन निगम को स्थाई सवारी गाड़ी परमिट जारी करने के विरुद्ध आपत्ति प्रस्तुत की है तथा मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में श्री ' ालेन्द्र कुमार ' ार्मा द्वारा दायर याचिका सं0–383/11 में पारित आदेश दिनांक 05–03–11 की छायाप्रति संलग्न की है। इन आदेशों में कहा गया है कि याचिकाकर्ता प्राधिकरण के समक्ष अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि कोई आपत्ति दी जाती है तो जेएनएनयूआरएम योजना की बसों को परमिट स्वीकृत करने से पूर्व याचिकाकर्ता द्वारा दी गयी आपत्ति का निस्तारण प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।

अपनी आपत्तियों में आपत्तिकर्ताओं ने निम्न बिन्दु उठायें हैः–

1. जेएनएनयूआरएम योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार को प्राप्त बसें नगर बस सेवा चलाने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा दी गयी हैं। देहरादून–कालसी नगर बस सेवा मार्ग नहीं है इसलिए इस मार्ग पर इन बसों को परमिट जारी नहीं किए जा सकते हैं।
2. उन्होंने अपनी आपत्ति मे यह भी कहा है कि जेएनएनयूआरएम बसों के संचालन हेतु सरकार द्वारा बनाई गयी समिति में सम्भागीय परिवहन अधिकारी को भी सदस्य सचिव, नामित किया गया है, जो सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण के भी सचिव हैं। इसलिए यह धारा 68(2) में दिए गए प्राविधानों के विरुद्ध है। जैसा कि मा0 कर्नाटका राज्य उच्च न्यायालय द्वारा याचिका सं0–13980/88 तथा अन्य याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 25–08–89 में निर्णित है। (ए0आई0आर0 1990 कर्नाटका, 1982)
3. आपत्तिकर्ता ने यह भी कहा है कि ' ाासन द्वारा सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण के गठन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 18–04–2001 भी नियमानुसार नहीं है। इस अधिसूचना में आयुक्त गढ़वाल मण्डल को प्राधिकरण का अध्यक्ष तथा उप परिवहन आयुक्त को सदस्य एवं एक गैर सरकारी सदस्य नामित करने का प्राविधान है, परन्तु वर्तमान में विभाग में कोई भी उप परिवहन आयुक्त नहीं है।

अध्यक्ष, देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर मोटर ऑनर्स वेल्फेयर एसोसिएशन ने परमिट जारी करने के विरुद्ध आपत्ति की है। अपनी आपत्ति में उन्होंने यह कहा है कि उनके मार्ग को प्रश्नगत मार्ग द्वारा ओवरलेप किया जाता है। मार्ग पर बहुत अधिक संख्या में वाहनों का संचालन हो रहा है। निजी वाहनों के अतिरिक्त मार्ग पर हरियाणा रोडवेज, पंजाब रोडवेज, हिमाचलप्रदेश रोडवेज, चंडीगढ़ रोडवेज तथा मार्ग सूची सं0–5 की बसें भी चलती हैं। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड परिवहन निगम की 15 बसें देहरादून से कालसी होते हुए साहिया, आराकोट, चकराता, त्यूनी आदि स्थानों को संचालित हो रही हैं। उन्होंने निवेदन किया है कि देहरादून–कालसी मार्ग पर और परमिट जारी नहीं किए जाएं।

उपरोक्त आपत्तियों के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने हेतु उत्तराखण्ड परिवहन निगम के प्रतिनिधियों द्वारा बैठक में प्राधिकरण से समय मांगा गया है। अतः प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि परिवहन निगम को प्रकरण में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाए तथा मामले को पुनः आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

**संकल्प सं0–7(ब):–**

इस मद के अन्तर्गत देहरादून–विकासनगर–कालसी मार्ग पर निजी वाहन स्वामियों द्वारा स्थाई सवारी गाड़ी परमिटों हेतु दिए गए प्रार्थनापत्रों को विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। परमिटों हेतु प्राप्त 35 प्रार्थनापत्रों के विवरण परिशि" ट "छ" में दिए गए हैं। वर्तमान में इस मार्ग पर 25 वाहनें स्थाई परमिटों पर संचालित हैं। इस मार्ग पर परमिट जारी करने के विरुद्ध विभिन्न व्यक्तियों/बस यूनियनों द्वारा आपत्ति की गई है। जिसका उल्लेख संकल्प संख्या–7 (अ) में किया गया है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि परिशि" ट "छ" में उल्लिखित प्रार्थनापत्रों पर विचार को स्थगित किया जाता है।

**संकल्प सं0–08:–**

इस मद के अन्तर्गत श्री प्रीतम दास गर्ग पुत्र श्री जादो राम गर्ग, 69 गांधी रोड, देहरादून को मार्ग सूची सं0–05 के लिए जारी स्थाई सवारी गाड़ी परमिट सं0–3596 में से पर्वतीय मार्ग काटने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। इस सम्बन्ध में प्राधिकरण ने श्री प्रीतम दास गर्ग को सुना, उन्होंने प्राधिकरण को अवगत कराया कि पूर्व में भी प्राधिकरण द्वारा कुछ परमिटों में पर्वतीय मार्ग काट दिया गया था। इसलिए उनके परमिट में से भी पर्वतीय मार्ग काट दिया जाए ताकि वे अपनी वाहन का संचालन मैदान मार्ग पर देहरादून स कालसी तक कर सके।

मार्ग सूची सं0–05 के लिए जारी स्थाई सवारी गाड़ी परमिट सं0–3596 में से पर्वतीय मार्ग काट दिए जाने के सम्बन्ध में देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर मोटर ऑनर्स वेल्फेयर एसोसिएशन के श्री ' ौलेन्द्र ' ार्मा ने आपत्ति करते हुए कहा कि मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 72(2)(ग्ग्ग्) एवं 80(3) के अन्तर्गत दी गयी व्यवस्था के अनुसार विधिमान्य नहीं है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि उपरोक्त परमिट में पर्वतीय मार्ग काटना सम्भव नहीं है। अतः उनके प्रार्थनापत्र को अस्वीकृत किया जाता है।

**संकल्प सं0–09ः–**

इस मद के अन्तर्गत श्रीमती ' वेता सिंघल पत्नी श्री अतुल कुमार सिंघल, सी–30, नेहरू कालोनी, देहरादून द्वारा एमडीडीए कालोनी–डाट मंदिर मार्ग पर नगर बस सेवा परमिट हेतु दिए गए प्रार्थनापत्र को विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थिनी ने अपने प्रार्थनापत्र के साथ मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा याचिका सं0–1231/03 में पारित आदेश दिनांक 08–08–08 भी प्रस्तुत किया गया है। जिसमें यह आदेश पारित किए गए हैं कि प्रार्थिनी द्वारा यदि कोई प्रार्थनापत्र दिया जाता है तो उस पर विचार किया जाए। प्राधिकरण को अवगत कराया गया है कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित इन आदेशों के अनुपालन में प्रार्थिनी ने देहरादून–डोईवाला मार्ग पर आवेदन पत्र दिया गया था। जिस पर प्राधिकरण की बैठक दिनांक 27–12–08 में विचारोपरान्त परमिट

स्वीकृत किया गया था। इस प्रकार मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में प्रार्थिनी के आवेदन पत्र पर विचार हो चुका है। उल्लेखनीय है कि इस मार्ग पर परमिट देने हेतु आवेदनपत्र नहीं मांगे गये हैं। इस मार्ग पर यदि कोई रिक्तियां हो तो उसके सापेक्ष आवेदन आमंत्रित कर, प्राप्त आवेदन पत्रों के साथ श्रीमती ‘ वेता सिंघल पर विचार किया जाएगा। अतः श्रीमती ‘ वेता सिंघल के आवेदन पत्र पर विचार को स्थगित किया जाता है।

**संकल्प सं0–10:–**

मद सं0–10 के अन्तर्गत श्रीमती बबीता, श्रीमती चम्पा देवी तथा श्रीमती कृ” णा देवी को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 20–10–10 में देहरादून–डोईवाला मार्ग पर स्वीकृत स्थाई नगर बस सेवा परमिट पुरानी वाहनों पर जारी करने के सम्बन्ध प्रकरण को प्रस्तुत किया गया है। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 20–10–10 में उक्त प्रार्थिनियों को अनुसूचित जाति श्रेणी के अन्तर्गत इस ‘ ार्त के साथ परमिट स्वीकृत किए गए थे कि स्वीकृत परमिट नई वाहन से प्राप्त किया जाएगा। स्वीकृत परमिट पर नई वाहन लगाने की ‘ ार्त का आधार राजधानी की नगर बस सेवा होने के कारण देहरादून नगर में प्रदू” ाण मुक्त, सुविधा जनक बस सेवा उपलब्ध कराना व दुर्घटना की न्यूनतम संभावना को ध्यान में रखते हुए किया गया था।

देहरादून–डोईवाला व सम्बन्धित नगर बस मार्ग के कुछ परमिट धारकों द्वारा आपत्ति की गयी है कि प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया था कि स्वीकृत परमिट नयी गाड़ियों पर जारी किये जाएंगे। अतः उपरोक्त तीनों प्रार्थिनियों को नयी गाड़ियों पर ही परमिट जारी किए जाए।

इस वि” ाय में प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि विगत दो–तीन व” ाों से प्राधिकरण द्वारा स्टेज कैरिज/नगर बस/ऑटो रिक्शा/विक्रम आदि के परमिट निर्गत करते समय निरंतर यह निर्णय लियें है कि नई वाहनों से ही नये परमिट जारी किए जाएं। इसके पीछे मुख्य कारण यह रहे हैं कि नई वाहन उन्नत तकनीक के कारण अधिक आरामदेह, सुविधाजनक तथा अपेक्षाकृत प्रदू” ाण रहित होती हैं। इन वाहनों का रख–रखाव सरल होता है तथा कम टूट–फूट होने के कारण दुर्घटना की आशंका कम रहती है। स्प” ट है कि जनहित में नई वाहन लगाने का निर्णय लिया गया है। मा0 उच्च न्यायालय ने याचिका संख्या–117/09/एमएस तथा

140/09/एमएस श्री विजय गोयल तथा अन्य में दिनांक 22–05–09 को अपने निर्णय में परमिटों पर नई वाहन लगाने की ' ार्त को सही ठहराया है। मा0 उच्च न्यायालय के इस निर्णय से भी इस बात को बल मिला है कि नए जारी किये जाने वाले परमिटों पर नई वाहन लगाने का निर्णय सही है। श्रीमती बबीता, चम्पा देवी तथा कृ" णा देवी द्वारा प्राधिकरण के समक्ष अपने प्रतिनिधि के माध्यम से यह निवेदन प्रस्तुत किया गया है। वह आरक्षित श्रेणी एवं कमजोर वर्ग की महिलाएं हैं एवं उनकी आर्थिक दशा ऐसी नहीं हैं कि वह तत्काल नई वाहन क्रय कर सके। अतः उन्हें पुरानी वाहन पर गाड़ी लगाने की अनुमति दी जाए। प्राधिकरण द्वारा इनके आवेदन पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया गया। प्राधिकरण का यह अभिमत बना कि इन प्रार्थिनियों की आर्थिक कठिनाइयों के दृ" टगत यदि पुरानी वाहन लगाने की अनुमति प्रदान की जाती है तो ऐसे ही अन्य मामले भी उत्पन्न होंगे और प्राधिकरण के लिए नये परमिट पर नये वाहन लगाने की नीति का क्रियान्वयन करना कठिन हो जाएगा। प्राधिकरण के द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि उक्त परिस्थितियों में इन आवेदकों की सहायता हेतु यह निर्णय लिया जाता है कि नये वाहन की व्यवस्था करने के लिए आवेदक समय लेना चाहें तो प्राधिकरण उदारतापूर्वक समय प्रदान करने के लिए विचार करेगा।

**संकल्प सं0–11:–**

मद सं0–11 के अन्तर्गत देहरादून सम्भाग के भिन्न–भिन्न केन्द्रों से जारी विक्रम टैम्पो परमिटों पर संचालित वाहनों के लिए मॉडल सीमा निर्धारित करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान में देहरादून केन्द्र से जारी परमिटों पर संचालित वाहनों के लिए 07 व" ा की मॉडल सीमा निर्धारित है तथा अन्य केन्द्रों से संचालित वाहनों के लिए 15 व" ा की मॉडल सीमा निर्धारित है। प्राधिकरण द्वारा विक्रम टैम्पो वाहनों जनित वायु प्रदू" ाण, जन सुरक्षा तथा जनता के लिए अधिक आराम देह व सुविधाजनक परिवहन सुविधाओं की आवश्यकता के दृ" टगत विक्रम टैम्पों वाहनों की मॉडल सीमा निर्धारण के सम्बन्ध में विचार किया गया।

विक्रम मालिक व चालक एसोसिएशन, मुनि की रेती, टिहरी गढ़वाल ने अपने प्रत्यावेदन दिनांक 04–03–11 द्वारा विक्रम टैम्पों वाहनों की मॉडल सीमा के सम्बन्ध में आपत्ति करते हुए कहा है कि किसी भी स्थिति में इन वाहनों की मॉडल सीमा 15 व" ा से कम न की जाए। प्राधिकरण को अवगत कराया कि राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 03–11–08 तथा सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 27–12–08 के संकल्प सं0–22(अ) के अन्तर्गत डीजल चालित ऑटोरिक्शा वाहनों के लिए 10 व" ा तथा पेट्रोल चालित ऑटो रिक्शा

वाहनों के लिए आयुसीमा 12 व”ा निर्धारित की गयी है। राज्य परिवहन प्राधिकरण, की बैठक दिनांक 20–06–2006 के संकल्प संख्या–07 में यह निर्णय लिया गया है कि:–

**“मद संख्या–07 के अन्तर्गत पर्वतीय मार्गों पर संचालित मोटर कैब एवं टैक्सी कैब वाहनों की आयु सीमा कुमाऊँ सम्भाग में 10 व”ा तथा पौड़ी व देहरादून सम्भाग में 15 व”ा होने के कारण गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल की भौगोलित परिस्थितियां एक समान होने के फलस्वरूप राज्य के सम्भागीय परिवहन प्राधिकरों द्वारा पर्वतीय मार्गों पर संचालित मोटर कैब/टैक्सी कैब वाहनों की मॉडल सीमा में एकरूपता न होने के कारण पर्वतीय मार्गों पर संचालित उपरोक्त प्रकार की वाहनों की मॉडल सीमा में एकरूपता लाने के लिए नीति निर्धारण के सम्बन्ध में जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य व्यक्तियों तथा समय–समय पर वाहन स्वामियों द्वारा प्राप्त सुझावों पर मामले को प्राधिकरण, देहरादून, पौड़ी एवं हल्द्वानी द्वारा पर्वतीय मार्गों पर संचालित उपरोक्त प्रकार की वाहनों के परमिटों पर अधिरोपित की जा रही मॉडल सीमा के सम्बन्ध में गम्भीरता से विचार किया गया तथा विचार विमर्श के दौरान अपन सचिव एवं विधि परामर्शी द्वारा यह भी मन्तव्य व्यक्त किया गया कि पर्वतीय मार्गों पर संचालित मोटर कैब, टैक्सी कैब वाहनां की मॉडल सीमा 08 व”ा रखी जा सकती है, परन्तु सर्वसम्मति से विचार किया गया तथा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल के पर्वतीय मार्गों की भौगोलिक परिस्थिति एक समान होने के कारण मोटर गाड़ी अधिनियम–1988 की धारा– 68 की उपधारा (3) व (4) मं दिये गये प्राविधानानुसार ‘ाक्ति का प्रयोग करते हुए पर्वतीय मार्गों पर बढ़ती हुई दुर्घटनाओं एवं जान–माल की हॉनि को दृ”टगत् रखते हुए दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं जनता को सुरक्षित तथा सुविधाजनक यातायात उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश के सम्भागीय परिवहन प्राधिकरणों द्वारा पर्वतीय मार्गों पर जारी किए जा रहे मोटर कैब एवं टैक्सी कैब परमिटों से आच्छादित वाहनों की मॉडल सीमा 12 व”ा निर्धारित की जाती है।”**

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि जन सुरक्षा को दृ”टगत रखते हुए देहरादून केन्द्र को छोड़कर सम्भाग के अन्य केन्द्रों के लिए निर्गत परमिटों पर संचालित वाहनों का प्रतिस्थापन जिन वाहनों से किया जाएगा, उनकी आयु सीमा 10 व”ा होगी।

**संकल्प सं0–12:–**

मद सं0–12 के अन्तर्गत देहरादून नगर में संचालित नगर बस सेवा की बसों को विशे" ा परिस्थितियों में ठेका परमिट जारी करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। पूर्व में प्राधिकरण द्वारा नगर बस सेवा के परमिटों में इस आशय की ' ार्त लगाई गयी है कि अनुज्ञप्ति से आच्छादित कोई गाड़ी संविदा गाड़ी के रूप में प्रयोग नहीं की जाएगी, अर्थात् नगर बस सेवा के अन्तर्गत संचालित वाहनों को ' ाादी–विवाह तथा टूरिस्ट पार्टी से संबंधित परमिट जारी नहीं किया जाएगा।

श्री गोपाल सिंह भंडारी, अध्यक्ष, राजपुर–क्लेमनटाउन मार्ग ने प्रत्यावेदन दिया है कि देहरादून–महानगर में लगभग 300 बसें नगर बस सेवा में संचालित हैं। विगत व" ा 2010 में यात्राकाल एवं कुम्भ में नगर बसों को यात्रा के समय संचालन हेतु अस्थाई ठेका परमिट जारी किए गए थे तथा नगर बस सेवा की लगभग 55 बसों द्वारा संतो" ाजनक सेवा प्रदान की गई थी। उन्होंने समय–समय पर यात्रा ' ाादी–विवाह के परमिट अस्थाई जारी करने पर लगा प्रतिबन्ध अविलम्ब समाप्त करने का निवेदन किया है।

प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि चारधाम यात्रा के दौरान प्रतिव" ा लाखों यात्री इन धामों की यात्रा के लिए आते हैं और ऋ" ाकेश से पर्वतीय मार्गों पर संचालित होने वाली बसों की कमी हो जाती है। व" ा 2010 में कुम्भ के दौरान भी गाड़ियों की कमी की समस्या उत्पन्न हुई थी। नगर बस सेवा की बसों में अधिकतम 166 इंच व्हीलबेस की बसें संचालित हैं। इनका प्रयोग मैदानो अथवा पर्वतीय दोनों क्षेत्रों में किया जा सकता है।

प्राधिकरण द्वारा विचारोपरानत यह निर्णय लिया गया कि यदि किन्हीं परिस्थितियों में यात्रियों के परिवहन हेतु बसों की कमी उत्पन्न होती है और परिवहन आयुक्त/मंडल आयुक्त द्वारा निर्णय लिया जाता है कि इन बसों को लगाने की आवश्यकता है तो नगर बसों को अस्थाई ठेका परमिट जारी किए जा सकेंगे।

**संकल्प सं0–13:–**

मद सं0–13 के अन्तगत परिवहन निगम को जेएनएनयूआरएम योजना के अन्तर्गत प्राप्त बसों के लिए प्राधिकरण की बैठक दिनांक 08–10–10 तथा 20–10–10 में प्राधिकरण द्वारा जेएनएनयूआरएम योजना के अन्तर्गत परिवहन निगम को निम्नलिखित मार्गों पर उनके समक्ष अंकित संख्या में परमिट स्वीकृत किए गए थे। इन बसों का भौतिक निरीक्षण करने पर बसों में कुछ कमियां पायी गयी थीं। इन कमियों से कुछ कमियों का निराकरण कर दिया गया है तथा ' ो" ा कमियों के बारे में परिवहन निगम ने सूचित किया है कि यह बसें भारत सरकार द्वारा जेएनएनयूआरएम योजना के अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी हैं तथा भारत सरकार की योजना के मानकों के अनुसार ही उक्त बसों की बॉडी तैयार करवाई गयी है। जिसमें उत्तराखण्ड परिवहन निगम के स्तर से परिर्वतन करना सम्भव नहीं है।

1. परेडग्राउण्ड–प्रेमनगर–परबल तथा संबंधित मार्ग –01 परमिट
2. आई0एस0बी0टी0–परेडग्राउण्ड–सहस्त्रधारा –04 परमिट
3. राजपुर–क्लेमनटाउन –04 परमिट
4. देहरादून–डोर्डवाला तथा संबंधित मार्ग –12 परमिट

मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि जेएनएनयूआरएम योजना के अन्तर्गत प्राप्त बसों को मानकों में दो होल्डिंग रोड के स्थान पर एक होल्डिंग रोड लगाने की छूट प्रदान करते हुए इन बसों के लिए स्वीकृत परमिट जारी कर दिए जाएं। स्वीकृत परमिट परिवहन निगम द्वारा वाहनों के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 30–04–11 तक जारी किए जाएंगे।

**संकल्प सं0–14:–**

मद सं0–14 के अन्तर्गत मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकण, उत्तराखण्ड द्वारा अपील सं0–14, 15, 16, 17, 18 तथा 19 व" ा 2007 में पारित आदेशों के अनुपालन में अपीलकर्ताओं को देहरादून केन्द्र से ऑटो रिक्शा परमिट स्वीकृत करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। मा0 न्यायाधिकरण ने यह आदेश पारित

किए हैं कि यदि अपीलार्थी प्राधिकरण द्वारा तय मानकों को पूर्ण करते हैं तो अपीलार्थियों को परमिट जारी किए जाएं।

प्राधिकरण द्वारा मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि मद में वर्णित अपीलीर्थियों को देहरादून केन्द्र से 25 किमी अर्द्धव्यास क्षेत्र के लिए एक अपोलार्थी के नाम से केवल एक स्थाई ऑटोरिक्शा परमिट मा0 न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में स्वीकृत किया जाता है। स्वीकृत परमिट दिनांक 30–04–11 तक वाहनों के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर निम्न ' ार्तों के साथ जारी किए जाएंगेः–

1–आवेदक देहरादून का निवासी हो इस हेतु मतदाता परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2–आवेदक बेरोज़गार हो।
3–आवेदक के पास पूर्व में निर्गत कोई परमिट न हो।
4–आवेदक के पास में हल्का वाणिज्यिक मोटर वाहन चलाने का चालक लाईसेंस हो।
5–परमिट एल0पी0जी0 चालित नई ऑटोरिक्शा वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर ही जारी किया जाएगा।
6–परमिट को परमिट धारक न्यूनतम 3 वर्षों तक किसी को हस्तांतरित नहीं कर सकेगा।

**संकल्प सं0–15ः–**

मद सं0–15 के अन्तर्गत देहरादून–रायपुर–मालदेवता मार्ग को नगर बस सेवा मार्ग में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। इस मामले को पूर्व में प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26–06–10 में मद सं0–7(अ) के अन्तर्गत विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण ने यह आदेश पारित किए थे कि संयुक्त सर्वेक्षण समिति से मार्ग का सर्वे कराकर आख्या प्राप्त की जाए। संयुक्त सर्वेक्षण समिति की आख्या प्राप्त हो जाने पर मामल को पुनः आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। संयुक्त सर्वेक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या के अनुसार वर्तमान में मार्ग पर 14 बसें संचालित हैं। संयुक्त सर्वेक्षण समिति ने इस मार्ग को नगर बस मार्ग के रूप में परिवर्तित करने के लिए संस्तुति की है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि देहरादून–रायपुर–मालदेवता–पी0पी0सी0एल0, रायपुर– तुनवाला–मियांवाला–बालावाला–शमशेरगढ़ मार्ग को नगर बस सेवा में परिवर्तित किया जाता है। मार्ग पर चल रही बसों का प्रतिस्थान 06 माह के अन्दर 166 इंच व्हीलबेस तक की नई बसों से किया जाएगा। ये बसें नगर बस के लिए निर्धारित मानकों को पूर्ण करने वाली होनी चाहिए।

**संकल्प सं0–16:–**

मद सं0–16 के अन्तर्गत के अन्तर्गत प्रेमनगर–गुलरघाटी नगर बस सेवा मार्ग का विस्तार मियांवाला से ‘ ामशेर गढ़ तक करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। संयुक्त सर्वेक्षण समिति की आख्या के अनुसार मियांवाला से ‘ ामशेर गढ़ मार्ग की लम्बाई 2.5 किमी है। वर्तमान में रायपुर से ‘ ामशेर गढ़ तक देहरादून–रायपुर–मालदेवता मार्ग की बसों का संचालन होता है। संयुक्त सर्वेक्षण समिति ने प्रेमनगर–गुलरघाटी मार्ग का विस्तार मियांवाला चौक से ‘ ामशेर गढ तक करने की संस्तुति की है।

अतः प्राधिकरण द्वारा मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रेमनगर–गुलरघाटी मार्ग का विस्तार मियांवाला चौक से ‘ ामशेर गढ़ तक किया जाता है।

**संकल्प सं0–17:–**

मद सं0–17 के अन्तर्गत डिफेंस कालोनी के निवासियों को सैनिक अस्पताल तक सीधी बस सेवा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। संयुक्त सर्वेक्षण समिति ने मार्ग का सर्वेक्षण करने के पश्चात् आख्या प्रे"ित की है कि रिस्पनापुल तक अनारवाला–सप्लाई डिपो–सैनिक अस्पताल–थाना कैण्ट–बल्लुपुर–आईएसबीटी–रिस्पनापुल–परेडग्राउण्ड मार्ग की बसें चलती हैं। उन्होंने आख्या में कहा है कि रिस्पना पुल से डिफेंस कालोनी की दूरी लगभग 1.7 किमी है। इस मार्ग की बसों का मार्ग विस्तार रिस्पनापुल से डिफेंस कालोनी तक किया जाना उचित होगा, जिससे डिफेंस कालोनी के लोगों को सैनिक अस्पताल के साथ–साथ आई0एस0बी0टी0 के लिए भी सीधी बस सेवा मिल जाएगी।

प्राधिकरण को डी0एल0 रोड–डिफेंस कालोनी मार्ग यूनियन ने अवगत कराया गया कि थाना कैण्ट–परेडग्राउण्ड मार्ग का विस्तार करने पर डिफेंस कालोनी क्षेत्र के लोगों को सैनिक अस्पताल जाने हेतु काफी घूमकर जाना पड़ेगा जो उचित नहों है। जबकि डी0एल0 रोड–डिफेंस कालोनी नगर बस मार्ग की बसें डिफेंस कालोनी तक जाती हैं। यदि इन बसों का मार्ग दिलाराम चौक से एम0एस0 तक बढ़ाया जाता है तो डिफेंस कालोनी लोगों को एम0एच0 तक सीधी बस सेवा मिल सकेगी। देहरादून–गढ़ीकैण्ट मोटर ऑपरेटर एसोसिएशन ने भी प्राधिकरण के समक्ष एक प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें निवेदन किया गया है कि उनकी बसें सैनिक अस्पताल तक पहले से ही संचालित हैं। उनकी बसों को डिफेंस कालोनी तक चलने की आज्ञा प्रदान की जाए। पुरकुल गांव–मोथरोवाला नगर बस यूनियन द्वारा भी डी0एल0 रोड–डिफेंस कालोनी मार्ग की बसों का विस्तार एम0एच0 तक करने का विरोध करते हुए कहा गया है कि ऐसा करने उनके मार्ग में अत्यधिक ओवरलेपिंग हो जाएगी।

अतः प्राधिकरण द्वारा मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि डिफेंस कालोनी से एम0एच0 तक सीधी सेवा प्रदान करने हेतु आई0एस0बी0टी0–कैण्ट नगर बस सेवा मार्ग में आई0एस0बी0टी0 से डिफेंस कालोनी मार्ग का पृ" ठांकन किया जाए। परमिट धारकों द्वारा डिफेंस कालोनी से एम0एच0 के लिए एक दिन में 04 वापसी सेवाओं का संचालन किया जाएगा।

**संकल्प सं0–18ः–**

मद सं0–18 के अन्तर्गत देहरादून (परेडग्राउण्ड) से सप्लाई डिपो होते हुए गल्जवाड़ी–बंकर तक बस सेवा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। मार्ग का सर्वेक्षण करने के पश्चात् सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), देहरादून ने आख्या प्रस्तुत की है कि परेडग्राउण्ड–देहरादून से सप्लाई डिपो तक देहरादून–कैण्ट मार्ग की बसें संचालित हैं। सप्लाई डिपो से गल्वाड़ी–बंकर तक का मार्ग 166 इंच व्हीलबेस की बसों के संचालन हेतु उपयुक्त है तथा मार्ग पर बसों को खड़ी करने एवं मोड़ने हेतु पर्याप्त स्थान है। इससे आगे का मार्ग बसों के संचालन हेतु उपयुक्त नहीं है। सप्लाई डिपो से गल्जवाड़ी–बंकर तक मार्ग की दूरी 03 किमी है। उन्होंने देहरादून–कैण्ट मार्ग का विस्तार गल्जवाड़ी बंकर तक करने की संस्तुति की है। उन्होंने अपनी आख्या में

यह भी कहा है कि इस मार्ग विस्तार से इन्द्र नगर, गल्जवाड़ी, गजियावाला व निकटवर्ती गांव के लोग लाभान्वित होंगे।

प्राधिकरण द्वारा मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि देहरादून–कैण्ट मार्ग पर संचालित छोटी बसों का मार्ग विस्तार सप्लाई डिपो से गल्जवाड़ी–बंकर तक करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। मार्ग विस्तार हो जाने के पश्चात् मार्ग यूनियन द्वारा इस मार्ग के लिए समय–सारणी प्रस्तुत की जाएगी।

**संकल्प सं0–19:–**

मद सं0–19 के अन्तर्गत प्रेमनगर–रायपुर नगर बस सेवा मार्ग का विस्तार प्रेमनगर से सुद्धोवाला तक करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), देहरादून ने मार्ग का सर्वेक्षण करने के पश्चात् आख्या प्रस्तुत की है कि प्रेमनगर से सुद्धोवाला की दूरी 03 किमी है। प्रेमनगर–सुद्धोवाला मार्ग पर अनेक ' ाक्षणिक संस्थान स्थापित हैं। इन संस्थानों में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं को देहरादून से प्रेमनगर तक विक्रम एवं नगर बस सेवा उपलब्ध है परन्तु इससे आगे परिवहन की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण उनको परेशानियों को सामना करना पड़ता है। उन्होंने मार्ग का विस्तार सुद्धोवाला तक करने की संस्तुति की है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि प्रेमनगर–रायपुर मार्ग का विस्तार प्रेमनगर से सुद्धोवाला तक करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

**संकल्प सं0–20:–**

मद सं0–20 के परेडग्राउण्ड–प्रेमनगर–परबल मार्ग का विस्तार परबल से शिमला बाईपास मार्ग पर बड़ोवाला–गोरखपुर टी–ईस्टेट होते हुए करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। परिवहन कर अधिकारी–1 देहरादून ने मार्ग का सर्वेक्षण करने के पश्चात् आख्या प्रे" ात की है कि परबल से शिमला बाईपास होते हुए बड़ोवाला चौक–गोरखपुर होते हुए प्रेमनगर नगर तक मार्ग की लम्बाई 15.3 किमी है। वर्तमान में इस मार्ग पर कोई बस सेवा गोरखपुर होते हुए प्रेमनगर के लिए संचालित नहीं है। उन्होंने स्थानीय लोगों को यातायात

की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मार्ग का विस्तार परवल से शिमला बाईपास होते हुए बड़ोवाला–गोरखपुर टी–ईस्टेट होते हुए प्रेमनगर तक करने की संस्तुति की है।

उन्होंने यह भी संस्तुति की है कि बसों का संचालन प्रेमनगर से टी–ईस्टेट गोरखपुर–बड़ोवाला–शिमला बाईपास होते हुए तथा प्रेमनगर से परवल होते हुए शिमला बाईपास–बड़ोवाला–गोरखपुर टी–ईस्टेट होते हुए दोनों ओर से 50–50 प्रतिशत सेवाएं रोटेशन से संचालित किया जाना उचित होगा।

प्राधिकरण द्वारा मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि परेडग्राउण्ड–प्रेमनगर–परवल मार्ग का विस्तार परवल से शिमला बाईपास–बड़ोवाला–गोरखपुर टी–ईस्टेट होते हुए प्रेमनगर तक करने की आज्ञा प्रदान की जाती है।

**संकल्प सं0–21:–**

मद सं0–21 के अन्तर्गत मियांवाला चौक–गुजरोवाली चौक–तुनवाला–नाजीवाला–किद्दूवाला–नत्थनपुर–नेहरुग्राम– राजीवनगर–बलबीर रोड–ई0सी रोड होते हुऐ सर्वेचौक–परेडग्राउन्ड मार्ग को छोटी जीप प्रकार की वाहनों को स्टैज कैरेज के रुप में संचालन हेतु वर्गीकृत करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26–06–10 में इस मार्ग को छोटी जीप प्रकार की वाहनों को ठेका गाड़ी के रूप में संचालित करने हेतु वर्गीकृत किया गया था। परन्तु क्षेत्र की जनता द्वारा वर्तमान में यह मांग की जा रही है कि मार्ग पर ठेका गाड़ी के स्थान पर स्टैज कैरिज के रूप में छोटी जीप प्रकार की वाहनों को संचालित किया जाए, ताकि मार्ग पर संचालित वाहनें एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए फुटकर सवारियां ढो सकें तथा क्षेत्र की जनता को यातायात की सुविधा मिल सके। प्राधिकरण को यह अवगत कराया गया कि यद्यपि मार्ग का सर्वेक्षण मियांवाला चौक से किया गया है, लेकिन यह उपयुक्त होगा कि इस मार्ग का हर्रावाला रेवले स्टेशन से मियांवाला चौक होते हुए गुजरोवाली चौक–तुनवाला–नाजीवाला–किद्दूवाला–नत्थनपुर–नेहरुग्राम–राजीवनगर–बलवीर रोड–ई0सी0 रोड होते हुए सर्वेचौक–परेडग्राउण्ड तक निर्मित किया जाए।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि हर्रावाला रेवले स्टेशन से मियांवाला चौक होते हुए गुजरोवाली चौक–तुनवाला–नाजीवाला–किद्दूवाला–नत्थनपुर–नेहरुग्राम–राजीवनगर–बलवीर रोड–ई0सी0 रोड

होते हुए सर्वेचौक–परेडग्राउण्ड मार्ग को छोटी जीप प्रकार की वाहनों को स्टेज कैरिज के रूप में संचालित करने हेतु "क" श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 68 (3)(ग–क) में दिए गए प्राविधानों के अनुसार मार्ग निर्मित करने का प्रस्ताव राज्य परिवहन प्राधिकरण के माध्यम से ' ाासन को प्रे" ित किया जाए।

**संकल्प सं0–22:–**

मद सं0–22 के अन्तर्गत सैन्य कालोनी–नीलकंठ बिहार–कालीदास चौक (पथरिया पीर)–आईएसबीटी–दून विश्वविधालय वाया दिलाराम–प्रिन्स चौक–सहारनपुर चौक–बाईपास रोड मार्ग को छोटी जीप प्रकार की वाहनों को स्टैज कैरेज के रुप में संचालन हेतु वर्गीकृत करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26–06–10 में इस मार्ग को 7/8 सीट तक की हल्की वाहनों को ठेका गाड़ी के रूप में संचालित करने हेतु वर्गीकृत किया गया था। परन्तु क्षेत्र की जनता द्वारा यह मांग की जा रही है कि ठेका गाड़ी के स्थान पर स्टेज कैरिज के रूप में छोटी जीप प्रकार की वाहनों को संचालित किया जाए, ताकि मार्ग पर संचालित वाहनें फुटकर सवारियां ढो सकें और क्षेत्र की जनता को यातायात की सुविधा मिल सके।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि सैन्य कालोनी–नीलकंठ बिहार–कालीदास चौक (पथरिया पीर)–कालीदास रोड–दिलाराम चौक–यूकेलिप्टिस रोड–सर्वेचौक–परेडग्राउण्ड–लैंसडाउन चौक–रेंजरर्स कॉलेज–पंचायती मंदिर चौक–प्रिन्स चौक–सहारनपुर चौक–मातावाला बाग–गुरुराम राय डिग्री कॉलेज–कारगी–विद्याविहार–बाईपास रोड–आईएसबीटी एवं दून विश्वविद्यालय मार्ग को छोटी जीप प्रकार की वाहनों को स्टेज कैरिज के रूप में संचालित करने हेतु "क" श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 68 (3)(ग–क) में दिए गए प्राविधानों के अनुसार मार्ग निर्मित करने का प्रस्ताव राज्य परिवहन प्राधिकरण के माध्यम से ' ाासन को प्रे" ित किया जाए।

**संकल्प सं0–23:–**

मद सं0–23 के अन्तर्गत आईएसबीटी से शिमला बाईपास होते हुऐ सेवलाकला–शान्ति बिहार–गौतमकुण्ड–चन्द्रबनी– आईएसबीटी तथा आईएसबीटी से

मेहुवाला–हरभजवाला–तुन्तोवाला–चौयला–चन्द्रबनी होते हुऐ आईएसबीटी तक जीप प्रकार की छोटी वाहनों को स्टैज कैरेज वाहनों के रुप में संचालित करने हेतु मार्ग वर्गीकृत करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। परिचालन पद्धति से प्राधिकरण के आदेश दिनांक 11–01–11 द्वारा मद में वर्णित दो मार्गों को जीप प्रकार की छोटी वाहनों को ठेका गाड़ी के रूप में संचालित करने हेतु वर्गीकृत किया गया था। परन्तु क्षेत्र की जनता द्वारा यह मांग की जा रही है कि ठेका गाड़ी के स्थान पर स्टेज कैरिज के रूप में छोटी जीप प्रकार की वाहनों को संचालित किया जाए, ताकि मार्ग पर संचालित वाहनें फुटकर सवारियां ढो सकें और क्षेत्र की जनता को यातायात की सुविधा मिल सके।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि मद में वर्णित दो मार्ग आपस में एक–दूसरे को ओवरलेप करते हैं। इसलिए इन दोनों मार्गों को मिलाते हुए एक ही मार्ग आईएसबीटी से शिमला बाईपास होते हुऐ सेवलाकला–शान्ति बिहार–गौतमकुण्ड–चन्द्रबनी– आईएसबीटी तथा आईएसबीटी से मेहुवाला–हरभजवाला–तुन्तोवाला –चौयला–चन्द्रबनी होते हुऐ आईएसबीटी तक मार्ग को छोटी जीप प्रकार की वाहनों को स्टेज कैरिज के रूप में संचालित करने हेतु "क" श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 68 (3)(ग–क) में दिए गए प्राविधानों के अनुसार मार्ग निर्मित करने का प्रस्ताव राज्य परिवहन प्राधिकरण के माध्यम से ‘ ाासन को प्रेि” ात किया जाए।

**संकल्प सं0–24:–**

मद सं0–24 के अन्तर्गत श्री मदन मोहन ‘ ार्मा, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड ऑटोरिक्शा ऑनर्स एसोसिएशन ऋ़ि” ाकेश के पत्र दिनांक 25–11–10 को विचार हेतु प्रस्तुत किया गया है। श्रो ‘ ार्मा ने निवेदन किया है कि ऋ़ि” ाकेश केन्द्र से पेट्रोल चालित ऑटोरिक्शा वाहनों के परमिटों पर डीजल चालित ऑटो रिक्शा वाहन प्रतिस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि ऋ़ि” ाकेश में पेट्रोल चालित वाहन अधिक नहीं होने के कारण इन वाहनों के रख–रखाव हेतु स्थानीय स्तर पर मैकेनिकों की कमी महसूस की जा रही है। उन्होंने अपने पत्र में यह भी कहा है कि परमिटों पर डीजल चालित ऑटोरिक्शा लगाने के पश्चात् पेट्रोल चालित वाहनों को अन्य राज्य में बेच दिया जाएगा तथा इन वाहनों के लिए पुनः परमिट लेने हेतु आवेदन नहीं किया जाएगा।

श्री संजय चौधरी, अध्यक्ष विक्रम मालिक व चालक एसोसिएशन, मुनि की रेती, टिहरी गढ़वाल तथा मैसर्स नागपाल टेडर्स इन्द्रप्रस्थ (लाईन नं0–9) अपर नत्थरपुर, मसूरी बाईपास, ने पेट्रोल चालित ऑटोरिक्शा को डीजल चालित ऑटोरिक्शा म परिवर्तित न किया जाए।

मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि ऋ" ाकेश केन्द्र से जारी पेट्रोल चालित ऑटोरिक्शा वाहनों के परमिटों में डीजल चालित ऑटोरिक्शा वाहनें प्रतिस्थापित करने की आज्ञा निम्न ' ातों के साथ प्रदान की जाती हैः–

1. भवि" य में एल0पी0जी0/सी0एन0जी0 उपलब्ध होने पर इन वाहनों का प्रतिस्थापन एल0पी0जी0/सी0एन0जी0 चालित वाहनों से करना होगा।
2. वर्तमान वाहन का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने एवं दूसरे कार्यालय में पंजीकृत होने की पु" ट हो जाने के पश्चात् ही परमिट पर डीजल चालित वाहन का प्रतिस्थापन किया जाएगा।

**संकल्प सं0–25ः–**

मद सं0–25 के अन्तर्गत दुर्घटनाग्रस्त वाहनों के परमिटों को धारा 86 के अन्तर्गत निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया गया है। मद में वर्णित दो मामलों में निम्नप्रकार आदेश पारित किए जाते हैंः–

**1**–इस मद के अन्तर्गत दुग्गडा–लैंसडाऊन मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त वाहन सं0–यूपी07के–9578 टैक्सी कैब के परमिट सं0–पीसीओपी–3111 के विरुद्ध धारा 86 की कार्यवाही हेतु मामला प्रस्तुत किया गया है। यह वाहन दिनांक 10–11–10 को दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। इस दुर्घटना में दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी थी तथा 06 व्यक्ति घायल हो गये थे। वाहन में क्षमता से अधिक सवारियां ढोई जा रही थीं। कार्यालय द्वारा वाहन स्वामी श्री अनुप सिंह चौहान को इस कार्यालय के पत्र सं0 1502/आरटीए/10 दिनांक 28–12–10 द्वारा धारा 86 के अन्तर्गत नोटिस भेजा गया था तथा 15 दिन के अन्दर स्प" टीकरण प्रस्तुत करने को कहा गया था, परन्तु उनका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। परमिट धारक को कार्यालय के पत्र सं0– 2502/आरटीए/सूचना/बैठक दिनांक

03–03–11 द्वारा प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित होकर अपने मामले को पैरवी करने हेतु लिखा गया था, परंतु पुकारने पर परमिट धारक प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं हुए।

प्राधिकरण द्वारा मामले पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि परमिट धारक को अपने दायित्वों का समुचित ज्ञान नहीं है एवं उसके प्रति लापरवाह भी है। अतः उपरोक्त परमिट निरस्त किया जाता है।

**2**–इस मद के अन्तर्गत देहरादून–मसूरी मार्ग पर कुठाल गेट के समीप दुर्घटनाग्रस्त बस सं0–यूपी08–3944 के परमिट सं0–पीएसटीपी–2806 को धारा 86 की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया गया है। यह वाहन दिनांक 05–01–11 को दुर्घटनाग्रस्त हुई थी तथा दुर्घटना के फलस्वरूप 22 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी थी तथा कुछ व्यक्ति घायल हो गये थे। जांच करने पर यह पाया गया कि उक्त वाहन मार्ग सूची सं0–एक के परमिट से आच्छादित है तथा हरिद्वार–देहरादून–मसूरी मार्ग पर वाहन का संचालन अनाधिकृत रूप से बिना परमिट किया जा रहा है।

परमिट धारक श्रीमती राजकुमारी देवी को इस कार्यालय के पत्र सं0–1881/आरटीए/11 दिनांक 01–02–11 द्वारा धारा 86 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया था तथा स्प" टीकरण प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था। परमिट धारक ने अपने स्ट" टीकरण में कहा है कि उनको यह ज्ञात नहीं था कि मार्ग सूची संख्या–एक के परमिट में मसूरी मार्ग सम्मिलित नहीं है। दुर्भाग्य से तकनोकी खराबी होने से उनकी वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गयी थी। प्रार्थिनी की वाहन भी सम्पूर्ण रूप से क्षति ग्रस्त हो गयी है जिस कारण से उनको आर्थिक क्षति भी हुई है। उन्होंने गलती माफ करने की प्रार्थना की है। परमिट धारक को कार्यालय के पत्र सं0–2501/आरटीए/सूचना/बैठक दिनांक 03–03–11 द्वारा प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर मामले की पैरवी करने हेतु लिखा गया था, परन्तु पुकारने पर परमिट धारक प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं हुए।

प्राधिकरण द्वारा मामले पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि परमिट धारक को अपने दायित्वों का समुचित ज्ञान नहीं है एवं उसके प्रति लापरवाह भी है। अतः उपरोक्त परमिट निरस्त किया जाता है।

**संकल्प सं0–26:–**

मद सं0–26 के अन्तर्गत सार्वजनिक सेवा यानों में यात्रा करने के लिए टिकटों को बिक्री के लिए अभिकर्ताओं को पंजीकृत करने/अनुज्ञाप्ति दिये जाने के सम्बन्ध मामला प्रस्तुत किया गया है।

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 93 में अभिकर्ता या प्रचारक को अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए प्राविधान किया गया ह, उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावाली, 1998 (उत्तराखण्ड में भी प्रभावी), के नियम 124 के अन्तर्गत सार्वजनिक सेवा यानों द्वारा यात्रा करने के लिए टिकटों की बिक्री करने लिए अभिकर्ताओं को अनुज्ञप्ति देने का प्राविधान है।

प्राधिकरण द्वारा मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि सार्वजनिक सेवा यानों में यात्रा करने के लिए टिकटों की बिक्री करने के लिए टिकटों की बिक्री करने के लिए अनुज्ञाप्ति लेने की प्रकिया को सरल बनाने के लिए सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून को अनुज्ञप्ति देने के लिए अधिकृत किया जाता है। अनुज्ञप्ति के लिए आवेदक के पास निम्नलिखित पात्रता होनी आवश्यक है:–

1. आवेदक देहरादून सम्भाग का निवासी हो।
2. कार्यालय में चालक/परिचालक/यत्रियों के बैठने के लिए एवं टॉयलेट की सुविधा होनी चाहिए।
3. कार्यालय किराये के भवन पर या स्वयं के भवन पर संचालित है का प्रमाण पत्र।
4. आयु का प्रमाण पत्र हेतु हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा प्रस्तुत करना होगा।
5. आवेदक का सत्यापन पुलिस विभाग द्वारा होना चाहिए।
6. आवेदक का टेलीफोन नं0, लैंडलाईन/मोबाईल/बेवसाइट (जो उपलब्ध हो), का विवरण देंगे। यदि आवेदक द्वारा इनमें कोई बदलाव किया जाता है तो उसकी सूचना दी जाएगी।
7. आवेदक को पैसेंजर बुकिंग में यात्रियों से अधिक वसूली न करें।
8. आवेदक को मोटर यान अधिनियम/नियमावली तथा कराधान अधिनियम का समुचित ज्ञान होना चाहिए।
9. आवेदक वाहन खराब होने की दशा में यात्रियों के लिए दूसरी वाहन की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
10. आवेदक निजी वाहनों की बुकिंग नहीं करेगा।

11. यदि आवेदक च।छ कार्ड धारक है, तो उसका विवरण देंगे।
12. आवेदक द्वारा बुकिंग वाहनों तथा उसमें भेजे गये यात्रियों का रिकार्ड अपने पास रखेगा तथा मांगे जाने पर निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक तिमाही में इसका विवरण सम्भागीय परिवहन अधिकारो, देहरादून को प्रस्तुत करेगा।
13. आवेदक को अनुज्ञप्ति लेने से पूर्व प्रतिभूति के रूप में रु0 10,000/– की एनएससी प्रस्तुत करनी होगी जो सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून के नाम बंधक होगी। बुकिंग एजेन्ट द्वारा अनियमितताएं करने के दिशा में इस प्रतिभूति को जब्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
14. अभिकर्ता की कमिशन बुकिंग का 05 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

सचिव द्वारा जारी अनुज्ञप्तियों को अनुमोदन हेतु प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत करेंगे। परमिटों में यह ‘ ार्त अधिरोपित की जाए कि जो भी एजेंट सार्वजनिक सेवा यानों के लिए टिकटों की बिक्री करेगा, उसको मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 93 तथा उसके साथ पठित उत्तर पदेश मोटर यान नियमावली, 1998 के नियम 124 के अन्तर्गत उपरोक्त ‘ ार्तों को पूर्ण करते हुए लाईसेंस लेना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक सेवा यानों में यात्रा करने के लिए इस व्यवसाय से संबंधित व्यक्तियों को प्रेरित करने हेतु सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून को इसका व्यापक प्रचार–प्रसार करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

**संकल्प सं0–27:–**

अन्य मद, इस मद के अन्तर्गत अनुपूरक कार्य सूची में उल्लिखित निम्न लिखित मदों पर विचार किया गया।

**संकल्प सं0–1(अनु0):–**

मद सं0–1(अनु0) में कौलागढ़–विधानसभा नगर बस मार्ग को टपेकश्वर महादेव मंदिर तक जोड़ने के सम्बन्ध में मामले को विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), देहरादून ने मार्ग का सर्वेक्षण करने के पश्चात् आख्या दी है कि कौलागढ़ से टपकेश्वर तक मार्ग की दूरी लगभग 02 किमी है, मार्ग पक्का है, मार्ग की चौड़ाई 18 से 20 फिट तक है केवल एक स्थान पर मार्ग की चौड़ाई 14 फिट है। इस मार्ग पर 133 इंच बसों का संचालन हो सकता है। उन्होंने मार्ग पर एक–एक घण्टे के अन्तराल में बस सेवाएं चलाए जाने की संस्तुति की है।

बैठक में उपस्थित आई0एस0बी0टी0–कैण्ट नगर बस माग एवं देहरादून–कैण्ट मार्ग के परमिट धारकों ने आपत्ति करते हुए कहा कि यह मार्ग अत्यन्त संकरा व तीव्र चढ़ाई, उतार व मोड़ों वाला है। दुर्घटनाओं व मार्ग अवरुद्ध होने की आशंका रहेगी। सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), देहरादून पुनः परिक्षण कर सुस्प" ट आख्या दें।

प्राधिकरण द्वारा मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि कौलागढ़–विधानसभा नगर बस मार्ग का विस्तार कौलागढ़ से टपकेश्वर महादेव मंदिर तक करने के सम्बन्ध में विचार करना स्थगित किया जाता है।

**संकल्प सं0–2(अनु0):–**

इस मद के अन्तर्गत मार्ग सूची सं0–04 के परमिटो में लम्बगांव–पीपलडाली–गडोलिया मार्ग पृ" ठांकित करने के सम्बन्ध में विचार किया गया। परमिट धारकों ने अवगत कराया कि पूर्व में मार्ग सूची सं0–4 की बसें उत्तरकाशी से लम्बगांव–टिहरी होते हुए पौड़ी के लिए संचालित होती थीं। परन्तु टिहरी बांध बन जाने के कारण भल्डीयाना को लम्बगांव से जोड़ने वाला पुल बांध में डूब गया है जिस कारण लम्बगांव से टिहरी होते पौड़ी के लिए सेवाएं संचालित नहीं हो पा रही हैं। उन्होंने निवेदन किया है कि मार्ग सूची सं0–04 के जिन परमिटों पर छोटी वाहनें टाटा–407 संचालित हैं, उनके परमिटों म लम्बगांव–पीपलडाली–गडौलिया मार्ग का पृ" ठांकन करने की कृपा करें, ताकि उत्तरकाशी से गडोलिया होते हुए पौड़ी क लिए बस सेवा संचालित की जा सके।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि निम्नलिखित परमिटों में, जिन पर छोटी टाटा–407 बसें संचालित ह, में लम्बगांव–पीपलडाली–गडोलिया मार्ग पृ" ठांकन स्वीकृत किया जाता है। वाहनों का संचालन

पीपलडाली पुल से होते हुए तभी किया जाएगा, जब लोक निर्माण विभाग/टिहरी बांध के अधिकारियों द्वारा वाहनों को इस पुल से संचालन की आज्ञा प्रदान की जाए।

| क0सं0 | परमिट धारक का नाम | परमिट संख्या | वाहन संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री प्रेमलाल ‘ ाह | पीएसटीपी–3020 | यूए10–4701 |
| 2. | श्री मती रुकमणी देवी | पीएसटीपी–3126 | यूके10पीए–0013 |
| 3. | श्रीमती गीता देवी | पीएसटीपी–3125 | यूके10पीए–0014 |
| 4. | श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी | पीएसटीपी–3363 | यूके07पीसी–0109 |
| 5. | श्री प्रमोद चन्द रमोला | पीएसटीपी–3532 | यूके10पीए–0025 |
| 6. | श्री हुकम सिंह | पीएसटीपी–3328 | यूए09–5375 |
| 7. | श्री बलवीर सिंह बि” ट | पीएसटीपी–3375 | यूके07पीसी–0114 |
| 8. | श्री सुभा” ा चन्द्र रमोला | पीएसटीपी–3702 | यूके07पीसी–0905 |
| 9. | श्री प्रवीण सिंह भण्डारी | पीएसटीपी–3743 | यूके10पीए–0028 |
| 10. | श्री राकेश बि” ट | पीएसटीपी–3360 | यूए09–5368 |

**संकल्प सं0–3(अनु0):–**

इस मद के अन्तर्गत अध्यक्ष, टीजीएमओसी, ऋ” ाकेश के पत्र दिनांक 28–02–11 पर विचार किया गया, जिसके द्वारा उन्होंने निवेदन किया है कि उनकी कंपनी की व्यवस्था के अन्तर्गत चलने वाली बस संख्या यूपी07सी–8935 का चालान दिनांक 12–11–09 तथा यूके10पीए–0012 का चालान दिनांक 16–03–10 को सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), हरिद्वार द्वारा ऋ” ाकेश मार्ग संचालित होने पर किया गया है। उन्होंने सूचित किया है कि यह बसें हरिद्वार से पर्वतीय क्षेत्रों के डाक सेवा में संचालित होती हैं तथा ऋ” ाकेश–चीला–हरिद्वार मार्ग बन्द होने के कारण इन बसों के द्वारा हरिद्वार–रायवाला–ऋ” ाकेश वैकल्पिक मार्ग पर संचालन किया गया है। उन्होंने चालानों का निस्तारण करने का निवेदन किया है।

प्राधिकरण ने उपरोक्त दोनों चालानों पर विचारोपरान्त निम्न प्रकार प्रशमनशुल्क निर्धारित करते हुए चालानों का निस्तारण किया जाता है।

| क्र०सं० | परमिट धारक का नाम | परमिट संख्या | वाहन संख्या | प्रशमनशुल्क |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री मनिराम जुयाल | पीएसटीपी–3103 | यूपी07सी–8935 | रु0–1000 / – |
| 2. | श्री ‘ ाशिपाल सिंह पौखरियाल | पीएसटीपी–3075 | यूके10पीए–0012 | रु0–1000 / – |

**<u>संकल्प सं0–4(अनु0):–</u>**

इस मद के अन्तर्गत अध्यक्ष, टी0जी0एम0ओ0सी0, ऋ”ाकेद्वारा द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन, जिसमें भवान–भाल–चिन्यालीसौड़ नवनिर्मित मार्ग को मार्ग सूची सं0–01 के मार्गों में पृ” ठांकित करने का अनुरोध किया गया था, पर विचार किया गया। परमिट धारकों ने अवगत कराया कि लोक निर्माण विभाग, थत्यूड़ द्वारा उक्त मार्ग जिसकी दूरी लगभग 35 किमी है, पूर्ण रूप से तैयार करा दिया गया है। उक्त मार्ग पर भवान तक मार्ग सूची सं0–01 के परमिटों पर पृ” ठांकित है, भवान से चिन्यालीसौड़ं तक मार्ग सूची सं0–01 के परमिटों पर पृ” ठांकन होना है। जिससे मसूरी से उत्तरकाशी की दूरी लगभग 60 किमी कम हो जाएगी। उक्त क्षेत्र की जनता व जन प्रतिनिधियों द्वारा उक्त मार्ग पर बसों के संचालन हेतु हमारी कंपनी को बार–बार पत्र प्रे”ात किया जा रहा है। परन्तु उक्त मार्ग के सम्बन्ध में प्राधिकरण की अवगत कराया गया कि सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), टिहरी द्वारा अपने पत्र सं0–491 / रोड सर्वे / 2010 दिनांक 31–12–10 द्वारा उक्त मार्ग पर संयुक्त निरीक्षण कर सर्वेक्षण आख्या भेजी है, जिसमें उनके द्वारा उक्त मार्ग 71 कमियां बताई गयी हैं। अतः इस मार्ग पर बस संचालन से पूर्व इन कमियां को दूर किया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया उक्त मद पर विचार करना आगामी बैठक तक के लिए स्थगित किया जाता है।

ईश्वर सिंह नेगी
सदस्य
सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण,
देहरादून।

अजय सिंह नबियाल
आई0ए0एस0
अध्यक्ष
सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण
देहरादून।